न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल.एन.मंत्री, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 14 / 2021 प्रार्थना–पत्र / चित्तौड़ (GCMS 2021/240)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 27.12.2021

श्री जगदीश चन्द्र पिता सुंदरलाल ब्राह्मण, निवासी गोपालनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के बजायः–

1. श्रीमती लीलादेवी पत्नि स्व. श्री जगदीश चन्द्र ब्राह्मण, निवासी गोपालनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री नारायणलाल पिता स्व. श्री जगदीश चन्द्र ब्राह्मण, निवासी गोपालनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री चेतन पिता स्व. श्री जगदीश चन्द्र ब्राह्मण, निवासी गोपालनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़। **(दिनांक 05 / 08 / 2021 को कार्यवाही ड्रोप की गई।)**
2. श्री श्रवणसिंह राठौड़, तहसीलदार चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री संजय सेन –अधिवक्ता अपीलांट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 02 क सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण 396 / 1992 एवं 99 / 1993 संयुक्त निर्णय दिनांक 30.09.1993

निर्णय

दिनांक 27.12.2021

1. अपीलांट द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 02 क सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 396 / 1992 एवं

99/1993 संयुक्त निर्णय दिनांक 30.09.1993 के विरूद्ध दिनांक 01.12.2015 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 08.07.2020 को दर्ज किया गया। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई।

2. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील प्रकरण संख्या 396/1992 एवं 99/1993 उनवान जगदीशचन्द्र बनाम सरकार का संयुक्त निर्णय दिनांक 30.09.1993 को पारित किया। निर्णय में अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि प्रकरण में समुचित जांच कर पुनरावेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाकर सहानुभूति पूर्वक विचार कर किया जाकर आदेश पारित करें। उक्त अपील के निर्णय के पश्चात जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ द्वारा पत्रावली पर कोई सुनवाई नही कर आज दिनांक तक निर्णय पारित नहीं किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

3. यह प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 05/08/2021 को

कार्यवाही ड्रोप की गई तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 वाबवूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 15.12.2021 को सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्ररकण में वर्णित आराजीयात पर अपीलांट का संयुक्त कब्जा होकर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 30.03.1989 को बेदखली का आदेश दिया, जिस पर अपील अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां पेश होने पर प्ररकण संख्या 25/1989 दर्ज होकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिया कि प्रकरण औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित करने की सिफारिश के साथ कलक्टर को पेश करें। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 06.12.1990 को उक्त भूमि अपनी सिफारिश के साथ प्रकरण नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के माध्यम से जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को पेश करने का आदेश दिया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण जिला कलक्टर को पेश न कर दिनांक 16.07.1991 को भूमि खाली कराने का आदेश दिया एवं इसी प्रकार अति. जिला कलक्टर के प्रकरण संख्या राजस्व/12–3/90/246/52 निर्णय दिनांक 26.11.1992 पारित कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि नियमन प्रार्थना पत्र निरस्त कर किया जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को पेश की। जिसके अपील संख्या क्रमशः 396/1992 एवं 99/1993 संयुक्त निर्णय दिनांक 30.09.1993 से उक्त दोनो अपीले स्वीकार की जाकर पुनः सुनवाई हेतु जिला कलक्टर को प्रेषित की गई, परंतु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा आदेश की पालना नही की एवं कोई सुनवाई का अवसर नही दिया एवं नही पत्रावली पर कोई विधिवत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया, इस संबंध

अपीलांट द्वारा कई मर्तबा आवेदन भी पेश किया। उप तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा भी प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 06.12.1990 को अपनी सिफारिश के साथ नियमन हेतु जिला कलक्टर को पत्रावली पेश की। अपीलांट का मौके पर 40 वर्षो से कब्जा होकर क्रेशर गिट्टी का प्लांट लगा हुआ है। अपीलांट के साथ अन्य लोगो के प्लांट को जिला कलक्टर द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति दी गई, परंतु अपीलांट को स्वीकृति नही दी गई। दिनांक 28.11.2015 को तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ श्री श्रवणसिंह राठौड़ द्वारा नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के कर्मचारियों के साथ आकर मौखिक धमकी दी कि दिनांक 30.11.2015 तक मौके से प्लांट हटा लेवे अन्यथा जप्त कर मकान, ऑफिस एवं बाउण्ड्रीवॉल गिरा देंगे। जिसकी सूचना दिनांक 29.11.2015 को अखबार में भी प्रकाशित हुई, इसके पश्चात अपीलांट की ओर से आवेदन तहसीलदार एवं जिला कलक्टर को मय दस्तावेज के साथ दिनांक 30.11.2015 को प्रस्तुत कर बेदखल नहीं करने हेतु निवेदन किया तथा उक्त भूमि नगर परिषद के स्वामित्व की भूमि नहीं है, पंरतु तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा बेदखली की कार्यवाही रोकने से मना कर दिया। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के पूर्व बेदखली के आदेश को राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा निरस्त कर दिया तथा जिला कलक्टर के यहां प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। इस प्रकार पूर्व आदेश निरस्त हो चुका है तथा तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बगैर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को नहीं मानकर बेदखल करने पर आमादा है, जो न्यायिक निर्णय की जानबुझ कर अवहेलना है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट के विरूद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना करने से उनके विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत निवेदन किया गया।

5. प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अवमानना प्रकरण में याची को न्यायालय के आदेशों की अवहेलना/अवमानना प्रमाणित करने का दायित्व होता है। इस प्रकरण में याची का प्रमुख कथन यह है कि उच्चतर न्यायालयों के आदेशों के बावजूद जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण में प्रतिप्रेषण आदेशों की पालना में आदेश पारित नहीं किया जाना तथा तहसीलदार द्वारा बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है।

6. प्रकरण में याची के द्वारा पेशशुदा दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य से यह कदापि प्रमाणित नहीं होता कि उच्चतर न्यायालय यानि राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेशों की तहसीलदार द्वारा अवमानना की जाकर याची के अतिक्रमण प्रकरण में कोई तोड़–फोड़ एवं विध्वंस किया गया हो। अपीलाण्ट स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार करता है। प्रकरण में जहां तक अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण में निर्णय करने का प्रश्न है, न्यायिक प्रक्रिया में एवं प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विलम्ब होना स्वाभाविक है। प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की कोई प्रभावी अवमानना होना प्रकट नहीं आता, अतएवं याची का प्रकरण निरस्त किया जाता है परन्तु न्यायहित में न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में उनके न्यायालय में कोई पत्रावलियां लम्बित हो तो उनका शीघ्र नियमानुसार निस्तारण करें। अवमानना याचिका उपरोक्त निर्देशों के साथ खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर